रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939
No. 656] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 952(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभाव्यता है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को या ईमेल js.tpt@gov.in को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (…………संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 98 में -

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) तारीख 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् एल, एम और एन प्रवर्गों के मोटर यानों के संचालन गियर का इस प्रकार संनिर्माण किया जाएगा कि वह समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक आईएस: 12222-2011 के अनुरूप हो ।";

(ii) उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् तिपहिया वाहनों, जो संचालन व्हील से सुसज्जित नहीं है, मोटर साइकिलें और विनिर्मित अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न विनिर्मित सभी मोटर यान समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक आईएस: 11948-2010 के अनुरूप होंगे ।"

[फा. सं. आर टी-11028/21/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. (अ), तारीख द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2017

G.S.R. 952(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001 or email at js.tpt@gov.in within the period, specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (----Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 98, -

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) On and after the 1st day of April, 2018, the steering gear of motor vehicles of categories L, M and N, shall be so constructed as to conform to the Indian Standard IS: 12222-2011, as amended from time to time.";

(ii) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that on and after the 1st day of April, 2018, the steering effort of all motor vehicles other than three wheelers not fitted with steering wheel, motor cycles and invalid carriages manufactured, shall conform to the Indian Standard IS: 11948-2010, as amended from time to time.".

[F.No.RT-11028/21/2016-MVL)

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number ____(E), dated __________.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.26 20:06:46 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.